



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052026-272196  
CG-DL-E-02052026-272196

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2093]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 2026/वैशाख 12, 1948

No. 2093]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 2026/VAISAKHA 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2026

का.आ. 2174(अ).— केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (कक) और खंड (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संशोधन— विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के, —

(क) नियम 2 खंड (प) में हिंदी पाठ में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) नियम 6 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा - जाएगा, अर्थात्: —

‘(क) अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट रीति में और निबंधन तथा शर्तों के अधीन, कोई भी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों का अभिदान, क्रय या विक्रय कर सकेगा:

परंतु—

(i) कोई देश, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, की कोई इकाई या नागरिक, अथवा जहां भारत में विनिधान का फायदाप्रद स्वामी ऐसे किसी देश का नागरिक है, अथवा जहां विनिधान का फायदाप्रद स्वामित्व ऐसे किसी देश में निहित है, वह अनुसूची I के पैरा (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट, केवल सरकारी मार्ग के अधीन, ही विनिधान करेगा;

(ii) पाकिस्तान का कोई नागरिक या पाकिस्तान में निगमित कोई इकाई, केवल सरकार के माध्यम से, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों या क्रियाकलापों, जो विदेशी विनिधान के लिए प्रतिबंधित हैं, से भिन्न क्षेत्रों और क्रियाकलापों में विनिधान करेगा;

(iii) भारत में किसी इकाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी विद्यमान या भविष्य के एफडीआई के स्वामित्व के अंतरण होता है जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त खंड (i) और (ii) के निर्बंधन के भीतर आ जाता है, तो फायदाप्रद स्वामित्व में ऐसे पश्चातवर्ती परिवर्तन पर भी सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(iv) कोई बहुपक्षीय बैंक या निधि, जिसका भारत सदस्य है, उसे किसी विशेष देश की इकाई नहीं माना जाएगा और न ही किसी देश को भारत में ऐसे बैंक या निधि के विनिधान का फायदाप्रद स्वामी माना जाएगा:

परंतु यह और कि भारत में विनिधान, किसी ऐसी विनिधानकर्ता इकाई से—

(i) जिसमें भारत के साथ सीमा साझा करने वाले किसी देश के नागरिक या इकाई द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व हो; और

(ii) जिसे इस खंड के उपबंधों के अधीन पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता न हो,

ऐसे विनिधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

**स्पष्टीकरण 1.—** इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(i) “भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी” से अभिप्राय उस निवेशक निकाय के लाभकारी स्वामी से होगा, जो ऐसे देश में निगमित या पंजीकृत है, जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता; तथा

(ii) “फायदाप्रद स्वामी” पद का वही अर्थ होगा जो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (चक) में है तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गए धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार निर्धारित है।

**स्पष्टीकरण 2.—** किसी विनिधान का फायदाप्रद स्वामित्व भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश में निहित माना जाएगा, जहाँ वह —

(क) ऐसे देश का नागरिक जो भारत के साथ सीमा साझा करता है; या

(ख) ऐसे देश में निगमित या रजिस्ट्रीकृत निकाय जो भारत के साथ सीमा साझा करता है,

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य नागरिक या इकाई के साथ संचयी रूप से, स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य नागरिक या इकाई के साथ सामूहिक रूप से, चाहे एक साथ कार्य कर रहे हों या अन्यथा,—

(क) भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश के अतिरिक्त किसी अन्य देश में निगमित या रजिस्ट्रीकृत विनिधानकर्ता इकाई पर, धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट लागू सीमाओं से अधिक अधिकार या हकदारी धारण करने में सक्षम हों; या

(ख) जो ऐसे नागरिक या निकाय या दोनों को उक्त विनिधानकर्ता इकाई पर नियंत्रण का प्रयोग करने में सक्षम बनाते हों; या

(ग) जो ऐसे नागरिक या इकाई या दोनों को विनिधान प्राप्तकर्ता इकाई पर किसी भी प्रकार से अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने में सक्षम बनाते हों।

**स्पष्टीकरण 3.—** भारतीय कंपनियों द्वारा तेल क्षेत्रों में “भागीदारी हित या अधिकार” का निर्गमन या अंतरण, भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को, विदेशी विनिधान माना जाएगा और यह अनुसूची I में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

[फा. सं. 1/4/2026-ईएम]

आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : विदेशी मुद्रा प्रबंध ((गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या. 3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के अधीन संशोधित किए गए थे:

- (i) का.आ. 4355 (अ), तारीख 5 दिसंबर 2019;
- (ii) का.आ. 1278 (अ), तारीख 22 अप्रैल 2020;
- (iii) का.आ. 1374 (अ), तारीख 27 अप्रैल 2020;
- (iv) का.आ. 2442 (अ), तारीख 27 जुलाई 2020;
- (v) का.आ. 4441 (अ), तारीख 8 दिसंबर 2020;
- (vi) का.आ. 3206 (अ), तारीख 9 अगस्त 2021;
- (vii) का.आ. 3411 (अ), तारीख 19 अगस्त 2021;
- (viii) का.आ. 4091 (अ), तारीख 5 अक्टूबर 2021;
- (ix) का.आ. 4242 (अ), तारीख 12 अक्टूबर 2021;
- (x) का.आ. 1802 (अ), तारीख 12 अप्रैल 2022;
- (xi) का.आ. 332 (अ), तारीख 24 जनवरी 2024;
- (xii) का.आ. 1361 (अ), तारीख 14 मार्च 2024;
- (xiii) का.आ. 1722 (अ), तारीख 16 अप्रैल 2024;
- (xiv) का.आ. 3492 (अ), तारीख 16 अगस्त 2024; और
- (xv) का.आ. 2549 (अ), तारीख 11 जून 2025.

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st May, 2026

**S.O. 2174(E).** — In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely: —

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, —

(a) in rule 2, in clause (6), for the words “government approval”, the words “Government approval” shall be substituted;

(b) in rule 6, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

‘(a) may subscribe, purchase or sell equity instruments of an Indian company in the manner and subject to the terms and conditions as specified in Schedule I:

Provided that —

(i) an entity or a citizen of a country, which shares land border with India, or where the beneficial owner of an investment into India is a citizen of any such country, or where the beneficial ownership of an investment is vested in any such country, shall invest only under the Government route specified in sub-clause (ii) of clause (a) of paragraph (3) of Schedule I;

(ii) a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan shall invest only under the Government route, in sectors or activities other than defence, space, atomic energy and such other sectors or activities prohibited for foreign investment;

(iii) in the event of the transfer of ownership of any existing or future FDI in an entity in India, directly or indirectly, resulting in the beneficial ownership falling within the restriction of the above clauses (i) and (ii), such subsequent change in beneficial ownership shall also require prior Government approval.

(iv) a Multilateral Bank or Fund, of which India is a member, shall not be treated as an entity of a particular country nor shall any country be treated as the beneficial owner of the investments of such Bank or Fund in India:

Provided further that the investments into India from an investor entity, —

(i) having any direct or indirect ownership by a citizen or an entity of a country sharing land border with India; and

(ii) not requiring prior Government approval under the provisions of this clause, shall be subject to reporting requirements specified by the Reserve Bank.

**Explanation 1.** — For the purposes of this clause, —

(i) the expression “beneficial owner of an investment into India” shall mean the beneficial owner of the investor entity incorporated or registered in a country other than a country which shares land border with India; and

(ii) the expression “beneficial owner” shall have the same meaning as assigned to it in clause (fa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), and shall be determined as per the criteria specified under sub-rule (3) of rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, made under the said Act.

**Explanation 2.** — The beneficial ownership of the investment shall be construed to be vested in a country sharing land border with India, where —

(a) a citizen of a country sharing land border with India; or

(b) an entity incorporated or registered in such country sharing land border with India,

has the ability to directly or indirectly, individually or cumulatively with any another citizen or entity, independently or collectively with any another citizen or entity, whether acting together or otherwise, hold rights or entitlements —

(A) in excess of the applicable thresholds specified in sub-rule (3) of rule 9 of Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 over an investor entity which is incorporated or registered in a country other than a country sharing land border with India; or

(B) which enables such citizen or entity or both to exercise control over the investor entity referred above; or

(C) which enables such citizen or entity or both to exercise ultimate effective control over the Investee entity in any manner.

**Explanation 3.** — Issue or transfer of “participating interest or right” in oil fields by Indian companies to a person resident outside India would be treated as foreign investment and shall comply with the conditions specified in Schedule I.’.

[F. No. 1/4/2026-EM]

ALOK TIWARI, Jt. Secy.

Note: The Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3. Sub-section (ii) *vide* number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended *vide* the following notification numbers:

(i) S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019;

- (ii) S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020;  
(iii) S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020;  
(iv) S.O. 2442 (E), dated the 27th July, 2020;  
(v) S.O. 4441 (E), dated the 8th December, 2020;  
(vi) S.O. 3206 (E), dated the 9th August, 2021;  
(vii) S.O. 3411 (E), dated the 19th August, 2021;  
(viii) S.O. 4091 (E), dated the 5th October 2021;  
(ix) S.O. 4242 (E), dated the 12th October 2021;  
(x) S.O. 1802 (E), dated 12th April 2022;  
(xi) S.O. 332 (E), dated 24th January 2024;  
(xii) S.O. 1361 (E), dated 14th March 2024;  
(xiii) S.O. 1722 (E), dated 16th April 2024;  
(xiv) S.O. 3492 (E), dated 16th August 2024; and  
(xv) S.O. 2549 (E), dated 11th June 2025